न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—50 / 2021 (2021 / 135) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अन्नु पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पुत्र बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कान्ता पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राधा पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. श्यामलाल पुत्र बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुशीला पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सायरी बेवा बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुष्पा पत्नि प्यारचन्द ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पुत्र हेमा बलाई निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारू पुत्र गेना भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल पुत्र नंगजी बैरवा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगीलाल पुत्र कालुराम बैरवा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामेश्वर पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशन पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामेश्वर पुत्र सन्दूर भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 02.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरान हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की [illegible] संख्या 473 / 1761 रकबा 1.30 है0, भूमि राजस्व खाता संख्या 420 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत [illegible] की उक्त आराजी के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से [illegible]गण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:05:59 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 05.07.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.07.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 473/1761 रकबा 1.30 है0, भूमि राजस्व खाता संख्या 420 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-9-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:05:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—50/2021 (2021/135) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अन्नु पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पुत्र बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कान्ता पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राधा पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. श्यामलाल पुत्र बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुशीला पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सायरी बेवा बंशीलाल ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुष्पा पत्नि प्यारचन्द ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पुत्र हेमा बलाई निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारू पुत्र गेना भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल पुत्र नंगजी बैरवा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगीलाल पुत्र कालुराम बैरवा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामेश्वर पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रोशन पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामेश्वर पुत्र सन्दूर भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 02.09.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 473/1761 रकबा 1.30 है0, भूमि राजस्व खाता संख्या 420 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू— अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थ[illegible] आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये[illegible] नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पच[illegible] के प्रस्तुत क[illegible]

हुक्मनामा आज दिनां[illegible] एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:05:59 IST
Reason: SelfAttested

2.9.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Kg, 111,128